

२६/११/२५ पत्रावली पेखा हुई | ३७२५५५ आदि ३००
पत्रों का शाही आदेश से दिनांक १७/१२/२५
को पेखा के

पत्रावली पेखा हुई उभयपक्ष
पीठसीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में हैं। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक १३/१२/२५ को पेखा हो।
आदेश से रीडर

१७/१२/२५

पत्रावली पेखा हुई उभयपक्ष
पीठसीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में हैं। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक १३/१२/२५ को पेखा हो।
आदेश से रीडर

१३/१२/२५

पत्रावली पेखा हुई उभयपक्ष
पीठसीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में हैं। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक २२/११/२५ को पेखा हो।
आदेश से रीडर

२२/११/२५

पत्रावली पेखा हुई। आज स्थानीय बार
सुप्रीम सिविल का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीठसीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक २९/११/२५ को पेखा हो।
आदेश से रीडर

२९/११/२५

पत्रावली पेखा हुई। वादी एवं वादी आदि।
अनुपस्थित। वादी एवं वादी आधीवक्ता
को निपमानसार तीन बार आवाजे लगवाई
गई, परन्तु कोई उपास्थित नहीं आया। समय
५:५० PM हो चुका है। वादी एवं वादी
आधीवक्ता को न्यायालय में पुनः एक बार
आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपास्थित
नहीं आया। वादी एवं वादी आधीवक्ता के
न्यायालय में उपास्थित नहीं आने से वादी गंगा
उत्तुत वाद अन्तर्गत धारा ८८, ५३ एवं १८८ की
अदम दायरी। अदम दायरी में वादी किताबता
है। निधि से उपलब्ध सुनना गंगा रिकी पत्रावली
है। पत्रावली फैसल सुमाट होना बाकील फलत
हो तथा बठवा से कम हो।

आदेश से रीडर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. जेतू पत्नी स्व0 भैरु जाति जाट आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. इन्द्रा पुत्री स्व0 भैरु जाति जाट आयु 05 वर्ष नाबालिग
3. सपना पुत्री स्व0 भैरु जाति जाट आयु 02 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती जेतु पत्नी स्व0 भैरु आयु वयस्क निवासीयान मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. जोधा पुत्र धुला जाति जाट आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बद्री पुत्र जोधा जाट आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गोपाल पुत्र जोधा जाति जाट आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, विभाजन आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 91/2007 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 29.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी /अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


29/1/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा